

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

पटना-15, दिनांक- /2026

संख्या-1/स्था0 (7) 02/2024-4880/श्री अशोक कुमार सिंह, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, वैशाली को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति सहित सौंपा जाता है।

2. उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(नीरज कुमार देवनाथ)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 02/2024-

/पटना-15, दिनांक-

/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 02/2024-

/पटना-15, दिनांक-

/2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य)/श्री अशोक कुमार सिंह, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (7) 02/2024-4881 /पटना-15, दिनांक- 09/09 /2026

प्रतिलिपि:-विभागीय आई0टी0 मैनेजर को ई-मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।